

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय  
कर्मयोगी भवन, सेक्टर-10A, चतुर्थ माला, ब्लॉक-2 ,  
सी विंग, गांधीनगर  
ई -मेल: gandhinagar.ibm@gmail.com



GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF MINES  
INDIAN BUREAU OF MINES  
Office of Regional Controller of Mines  
Karmayogi Bhavan, 4<sup>th</sup> Floor, Block-2, Sector-10A,  
Gandhinagar-382010, Gujarat

मिसिल सं- JUNA/LST-026

दिनांक: 06.03.19

प्रेषित : **M/s Sorath Minerals**  
**C/o Shivam Transport**  
**Opp. Meenakshi Hotel, Junagadh-Veraval Highway,**  
**Veraval, Dist.- Junagadh,**  
**Gujarat- 362265**  
**E-mail- [shivam\\_mining@yahoo.in](mailto:shivam_mining@yahoo.in)**

विषय : गुजरात राज्य के Gir Somnath जिले के Patan Veraval तालुका में स्थित आपकी Moraj Limestone Mine, सर्वे नं- [87/1] क्षेत्रफल-16.1874 में खनिज संरक्षण व विकास नियमावली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन, (Mine Code- 38GUJ08091)

महोदय ,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 27/10/2018 को आपकी उपरोक्त खान के निरीक्षण के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमवाली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया और उनके निराकरण के लिए आपको 45 दिन का समय देते हुए इस कार्यालय के संसंख्यक रजिस्टर्ड ए .डी .पत्र दिनांक 11.12.2018 द्वारा आपको सूचित किया गया था।

नियम स.	पाए गए उल्लंघन की विस्तृत प्रकृति
Rule 11 (1)	<b><i>No holder of a mining lease shall commence or carry out mining operations in any area except in accordance with the mining plan approved, modified or reviewed by the Indian Bureau of Mines</i></b> In your case, it was observed during the inspection that the mining operations were carried out in violation of the approved Modified Mining Plan (Approved vide letter No. 682(23)(601)/2008MCCM (N) UDP, dated 29.09.2016 for the period 2016-17 to 2019-20 wherein excavation proposed bench wise (from 122-110mRL) for the production target of 9,57,634MT during the year 2016-17 and excavation proposed bench wise (from 122-110mRL) for the production target of 9,11,800MT during the year 2017-18. Against to these aforesaid proposals, production of 57,950MT in 2016-17 & 51,452MT in 2017-18 of limestone carried out respectively. But, it appears that aforesaid production were not carried out from proposed locations and limestone production /excavated quantity is also not supporting with the ground reality and mismatching with the present excavated pits areas.
Rule 31(4)	<b><i>The plans and sections required under these rules shall be maintained up to date within three months in case of category 'A' mines as referred to in clause (a) of sub-rule (2) of rule 55</i></b> But in your case, required plans & sections under these rules are not updated on quarterly basis and not maintained at mines site office.

Rule 46	<p><b><i>When any new appointment of an agent, mining engineer, geologist or any person is made under sub-rule (1) of rule 55, within fifteen days from the date of such appointment, termination, leaving or change in address, give a notice in Form-H</i></b></p> <p>In your case Shri. Hitesh Solanki, Mining Engineer appointed under the rule 55(C)(i) of MCDR,2017 but intimation of their appointments in prescribed Form not send to the Regional Controller of Mine, Gandhinagar.</p>
---------	---

2. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है की उल्लंघन पत्र जारी होने की तिथि से 45 दिन समाप्त होने के बाद भी आपने उल्लंघन सह कारण बताओ नोटिस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया है और इन नियमों का उल्लंघन यथावत जारी है ।
3. यह आपके पुनः ध्यान में लाया जाता है की उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण व विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है तथा इन नियमों के उल्लंघन की अनुपलना नहीं होने पर खनिज संरक्षण व विकास नियमावली, 2017 के नियम 11(2) के अंतर्गत खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है/आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है और/या राज्य सरकार से खदान की सारी संक्रियाएं बंद करने और/या आपके विरुद्ध अभियोग दायर करने की सिफारिश की जा सकती है ।
4. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप इस पत्र के जारी होने की तिथि से 30 दिन की अवधि में कारण बताने के लिए निर्देशित किया जाता है।
5. कृपया नोट करे की इस संदर्भ में आपको और कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा।

भवदीय,

(संजय गिरहे)  
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी  
भारतीय खान ब्यूरो

**सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1.	खान नियंत्रक (उ.) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर ।	
2.	आयुक्त, भूविज्ञान व खनन विभाग, ब्लॉक-1, 7वां माला, उद्योग भवन, गांधीनगर (गुज.)	इस अनुरोध के साथ की नियम 11(1) के उल्लंघन के संदर्भ लीजी द्वारा चुना पत्थरका जो उत्पादन किया है वह वर्तमान में पिट्स में जो खनन कार्य किया गया उस एरिया से बेमेल होना प्रतीत हो रहा है एवं मीनिंग लीज एरिया में एक भी मीनिंग लीज बाउंडरी पिल्लर्स नहीं पाये गए। इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही करने का श्रम करे ।
3.	सहायक भूविज्ञानी, भू-विज्ञान एवं खान विभाग, प्लॉट नं-39, राजनगर सोसाइटी, जूनागढ़ बायपास, वेरावल गुजरात - 362262	
4.	रक्षित पत्रावली	

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी  
भारतीय खान ब्यूरो